



प्रेस नोट

दिनांक 17.09.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त महेश कुमार पुत्र भागीरथ राजपूत को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महेश कुमार पुत्र भागीरथ राजपूत (उम्र करीब 55 वर्ष) निवासी मुहल्ला गान्धीनगर कस्बा गोहाण्ड थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 01.उ0नि0 बीरेन्द्र प्रसाद
- 02.का0 आशीष रजक
- 03.का0 निर्भान सिंह

